सं.ई-25013/2/2021-22/हिन्दी/194

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केंद्रीय जल आयोग

(हिंदी अनुभाग)

901 (दक्षिण), सेवा भवन

राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली -110066

दूरभाष: 011-29583720,

ई मेल: hindisec-cwc@nic.in

दिनांक 26 **अप्रैल, 2023**

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के प्रशासनिक अनुभागों एवं समन्वय निदेशालयों तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालयों के लिए राजभाषा शील्ड योजना (वर्ष 2022-2023)

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) द्वारा चलाई जा रही राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष आयोग के निदेशालयों/ प्रशासनिक अनुभागों और मुख्य अभियंता कार्यालयों को संघ की राजभाषा नीति एवं नियम के बेहतर अनुपालन तथा राजभाषा हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने पर राजभाषा शील्ड(5) से सम्मानित किया जाता है। **इस योजना के तहत क, ख तथा ग क्षेत्र मे स्थित 15 मुख्य अभियंता कार्यालयों और मुख्यालय के सभी समन्वय निदेशालयों तथा प्रशासनिक अनुभागों** द्वारा जून, सितम्बर, दिसम्बर, 2022 और मार्च, 2023 की चारों तिमाहियों की भाग-I एवं भाग-II सहित समेकित रिपोर्ट एवं वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों तथा उपलब्धियों के आधार पर शील्ड प्रदान की जाती हैं।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में कृपया निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्रवाई की जाए :-

(क) मुख्यालय के जो समन्वय निदेशालय/ प्रशासनिक अनुभाग वर्ष 2022-23 की शील्ड योजना में भाग लेने के इच्छुक हैं वे अपनी 2022-23 की चारों तिमाही रिपोर्ट (जून से दिसम्बर, 2022 (भाग-I) एवं मार्च, 2023 की रिपोर्ट के साथ भाग-II सहित) की प्रतियां सीधे ही हिंदी अनुभाग के.ज.आ. (मुख्यालय) को **hindisec-cwc@gov.in** पर भिजवाएँ।

(ख) जो मुख्य अभियंता कार्यालय वर्ष 2022-23 की शील्ड योजना में भाग लेने के इच्छुक हैं वे अपनी 2022-23 की चारों समेकित तिमाही रिपोर्ट (जून से दिसम्बर, 2022 (भाग-I) एवं मार्च, 2023 की रिपोर्ट के साथ समेकित भाग-II सहित) की प्रतियां सीधे ही हिंदी अनुभाग, के.ज.आ. (मुख्यालय) को **hindisec-cwc@gov.in** पर भिजवाएँ।

(ग) पुरस्कार का निर्धारण राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आंकड़ों के आधार पर और वर्ष के दौरान किए गए **महत्वपूर्ण कार्यों तथा उपलब्धियों** के आधार पर किया जाता है। अतः **रिपोर्ट के साथ वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबन्धित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों/कार्यों का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक के रूप में अवश्य भिजवाएँ ।**

अतः योजना मे भाग लेने के इच्छुक सभी कार्यालयों से अनुरोध है कि कृपया वे उक्त अपेक्षित रिपोर्टे अनुलग्नक सहित दिनांक **01 जून 2023** तक अवश्य भिजवा दें।

भवदीया,

26/4/2023

(रजिन्दर पाल)
उप निदेशक(रा.भा.)
दूरभाष: 011 29583720

सेवा में,

1. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग
2. सभी शाखा अधिकारी, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय, जल आयोजना एवं परियोजना, समन्वय निदेशालय, अभिकल्प एवं अनुसंधान समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. सभी अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ:</u>

1. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सभी सदस्य, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
3. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।
4. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय जल आयोग के निजी सचिव, नई दिल्ली।